दलित युवाओं द्वारा ब्राह्मणवादी मिथकों को चुनौती दी जा रही है

दुर्गा और राम के मिथक और ब्राह्मणधर्म की उदारता और महानता को चुनौती दे दी गई है।

इस से काफी बेचैनी फ़ैल गई है।

लेकिन अब तो यह चुनौती बढ़ती ही जायेगी।

क्योंकि आदिवासी दलित जो अब तक शिक्षा से वंचित थे।

अब आजादी के सत्तर साल के बाद वे गूगल और सोशल मीडिया की ताकत से लैस हैं।

वे इतिहास खोज रहे हैं आपस में बैठ कर अपने बूढों से कहानियां सुन रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर एक दुसरे से साझा करके उसे व्यापक समझ के रूप में विकसित कर रहे हैं।

आदिवासियों और दलितों के द्वारा उनके नायकों को खलनायक दिखा कर उनके वध करने और उनके पुतले जलाने के आयोजनों के खिलाफ पुलिस रिपोर्टें कराई जा रही हैं।

यह एक नए युग की शुरुआत है।

अब तक एक ही तरफ की कहानियां सारे देश को सुनाई जाती रही हैं।

स्कूल की किताबों में रेडिओ में अखबारों में टीवी पर एक ही तरफ की कहानियां सुनाई गईं हैं।

इनमें आदिवासियों को राक्षस, दैत्य, पिशाच, बन्दर भालू दिखाया गया है,

लेकिन अब आदिवासी और दलितों द्वारा इन एकतरफा कहानियों को चुनौती दी जा रही हैं,

यह स्वाभाविक भी है।

पहले हज़ारों सालों तक दलितों आदिवासियों को ज्ञान से दूर रखा गया।

लेकिन अब लोकतंत्र के लागू होने के बाद हालत बदल रही है।

इसलिए अब तक इन मिथकों के आधार पर खुद को देवता साबित करने वाले लोग बहुत घबराए हुए हैं।

वे कह रहे हैं कि यह नकली कहानियाँ हैं आपको कुछ नहीं पता है वगैरह वगैरह

यह भी कहा जा रहा है कि आप लोग गड़े मुरदे उखाड़ रहे हैं।

यह भी कहा जा रहा है कि अरे यह रामायण वगैरह तो कहानियां हैं आप इन्हें सच सिद्ध क्यों करना चाहते हैं ?

लेकिन हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए।

कि आज तक इन्हीं कहानियों के आधार पर इस देश में एक समुदाय खुद को महान, उदार और अच्छा साबित करता रहा।

इन वर्णनों के आधार पर खुद को देश पर शासन करने के लिए सबसे महान साबित किया गया।

इसी श्रेष्ठता के दावे के आधार पर इस देश की राजनैतिक सत्ता फिर सामाजिक रुतबा और फिर संसाधनों पर कब्ज़ा करा गया।

असल में घबराहट की असली वजह यही है।

कि एक बार यह सिद्ध हो गया कि आप ना तो अतीत में सभ्य और उदार थे ना ही आप आज सभ्य और उदार हैं।

आपका अतीत और वर्तमान हत्याओं दमन भेदभाव से भरा हुआ है।

तो इस देश के राजनैतिक आदर्श भी बदल जायेंगे।

अगर आप राममन्दिर के नाम पर सत्ता पर कब्ज़ा कर सकते हैं।

तो राम के चरित्र के खंडन से आपका राजनैतिक वर्चस्व भी टूट जाएगा

आप इसे ठीक से समझिये।

दलितों आदिवासियों की दिलचस्पी अतीत की कहानियों में सुधार के लिए दावेदारी करने की नहीं हैं।

दलित और आदिवासी युवा आपके राम और दुर्गा के मिथकों के विरुद्ध नहीं है वह आपके विरुद्ध है।

दलित आदिवासी युवा आपके सवर्ण, शहरी अमीर वर्चस्व के विरुद्ध है।

आपके द्वारा लगातार दलितों और आदिवासियों को नीच समझने उनके साथ अपमान जनक भाषा में बात करने उनके संसाधनों को दादा गिरी से छीनने के खिलाफ दलित आदिवासी युवा का यह बिलकुल जायज़ विद्रोह है।

उन्हें तो आपसे वर्तमान में ही दो दो हाथ करने हैं और आपको पटखनी देकर सत्ता में बराबरी करनी है।

आप उनका लगातार अपमान करते हैं।

लगातार उनकी ज़मीनें छीनते हैं।

सुरक्षा बल भेज कर उनकी महिलाओं से बलात्कार करवाते हैं।

ताकि आदिवासी डर जाएँ और आपका विरोध ना करें।

और फिर आप मूंछ मरोड़ कर कहते हैं कि हमें तो जनता ने सत्ता में बैठाया है।

आप दावा करते हैं कि आप गोभक्त राष्ट्रभक्त महान धर्म के उदारवादी और महान सभ्यता के वंशज हैं।

लेकिन आपके काम लूटने बलात्कार करने और हत्या करने के हैं।

तो आदिवासी और दलित आपकी मक्कारी को चुनौती दे रहे हैं।

आप मीडिया को डरा सकते हैं खरीद सकते हैं। आदिवासियों और दलितों के खिलाफ आपके अत्याचारों की खबरों को शहरी समाज तक आने से रोक सकते हैं।

लेकिन आदिवासी और दलित अपने आपस में जो सोशल मीडिया के मार्फ़त खबरों का आदान प्रदान कर रहा है।

वह आपकी नज़रों से दूर है।

एक क्रान्ति खदक रही है।

मैं इंतज़ार में हूँ कि यह ज्वालामुखी कब फूटता है।

आप कह सकते हैं कि मैं शान्ति के पक्ष में नहीं हूँ।

आपने बिलकुल ठीक समझा।

मुझे अगर न्याय और शांति में से एक चीज़ चुननी हो तो मैं न्याय को चुनूंगा।

क्योंकि अन्याय के मौजूद रहते हुए जो शान्ति होगी वह श्मशान की शान्ति होगी।

मैं इस समाज के शमशान बनने के विरुद्ध हूँ।

मुझे एक जिंदा समाज पसंद है जो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी अन्याय को बर्दाश्त ना करे,

साफ़ साफ़ समझ लीजिये मैं बगावत की तरफ हूँ।

दलितों और आदिवासियों द्वारा इस विरोध का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ।

– **हिमांशु कुमार**

नीमका जेलर:उद्घाटनों के पर्दे से ढकता अपने घोटाले

फ़रीदाबाद (म.मो.) नीमका स्थित ज़िला जेल का जेलर अनिल अपने काले कारनामे एवं भ्रष्टाचार को ढकने के लिये आये दिन जेल में कोई न कोई उद्घाटन आदि का प्रपंच रचता रहता है। बीते पखवाड़े तो उसने लगातार तीन उद्घाटन करा डाले।

इनमें पहला उद्घाटन 29 सितम्बर को माननीय सैशन जज साहब दीपक गुप्ता जी से कराया गया। किस चीज का ? महिला वार्ड में सिलाई सेंटर का। विदित है कि इस वार्ड में सिलाई सेंटर बहुत पहले से ही मौजूद है। उस वक्त भी इसका उद्घाटन किसी न किसी से कराया गया होगा। अब इसी सेंटर में कुछ और सिलाई मशीनें रोटरी क्लब वालों से दान में मिल गयी तो फ़िर से उद्घाटन। पाठक भूले नहीं होंगे कि करीब एक माह पहले उन्हीं सैशन जज साहब ने इसी जेल के मुलाकाती क्षेत्र में एक वातानुकूलित कमरे का उद्घाटन किया था। इस कमरे में वातानुकूलन की मशीन ज़िला बार एसोसिएशन ने दान की थी।

मात्र दो दिन बाद ही यानी पहली अक्तूबर को जेलर साहब ने एक और उद्घाटन करवा मारा। इस बार का उद्घाटन किया पलवल के दीपक मंगला ने। इन मंगला जी की तारीफ़ यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सलाहकार एवं सचिव हैं। वैसे खट्टर का राजनीति से कभी कोई ताल्लुक तो रहा नहीं इसलिये इन्हें मंगला जैसे दर्जनों सलाहकारों की आवश्यकता रहती है और इन सलाहकारों की सलाहों का परिणाम भी राज्य की जनता बखूबी देख ही रही है। हां, मंगला जी ने भी उद्घाटन किया पुरुष सिलाई सेंटर का। वैसे जेल में पहले से ही सिलाई का काम हो रहा है। यहां से एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा स्कूल वर्दियां इत्यादि बनवा कर सप्लाई की जाती हैं।

अभी शायद कसर रह गयी थी, सो एक उद्घाटन 2 अक्तूबर को स्थानीय विधायक मूलचंद से भी करा दिया। इस बार उद्घाटन था एक ऐसी मशीन (कम्प्यूटर) का जो अंगूठा लगाते ही कैदी का पूरा ब्योरा पेश कर देगी। संदर्भवश पाठकों को याद दिला दें कि पिछले दिनों 2017 में इसी जेलर ने, पहले से चले चलाये टेलिफ़ोन बूथ का उद्घाटन स्थानीय सांसद एवं मंत्री कृष्णपाल गुजर से करवाया था। इस बुथ का उद्घाटन डेढ वर्ष पहले भी हो चुका था।

जेलर द्वारा इन सभी उद्घाटनों के बाकायदा फ़ोटो सहित प्रेस नोट तैयार करके मीडिया को भेजे जाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य केवल इतना होता है कि जेलर की छवि निखरती रहे तथा उद्घाटन करने वाले वीआईपी उनकी तैनाती यहां बनाये रखें ताकि उसकी लूट मार एवं भ्रष्टाचार पनपता रहे। दूसरी ओर उद्घाटन करने वाले वीआईपी उसके आतिथ्य एवं सतकार से इतने प्रभावित हो चुके होते हैं कि उनके भ्रष्टाचार की ओर झांकने की भी जरूरत नहीं समझ पाते।

कैसे करें सम्मान ऐसी न्यायपालिका का

फ़रीदाबाद (म.मो.) नीमका जेल में बंद सतबीर पुत्र अगोचर की, जमानत हो गयी अप्रैल 2017 में। तब तक वह 13 माह की सज़ा काट चुका था। सतबीर अम्बेदकर नगर दिल्ली के सरकारी सर्वोदय स्कूल में प्राथमिक शिक्षक का कार्य करते थे। वे केवल साप्ताहिक अवकाश पर ही अपने गांव सौंहद आते थे।

लेकिन विरोधी पक्ष ने जुलाई 2011 में थाना होडल में दर्ज कराई एफ़आईआर नं. 324 में सतबीर व 13 अन्य का नाम लिखा दिया। इस एफ़आईआर में भारतीय दण्ड संहिता की धारायें 325, 326, 307, 506, 148, 149 व 452 आदि लगी। तत्कालीन डीएसपी होडल ने अपनी तसदीक में सतबीर, उनके पिता अगोचर व रणजीत को झगड़े में शामिल न पाकर केस से निकाल दिया। यहां सतबीर का पक्ष यह था कि वह झगड़े के समय अपने स्कूल, जो घटना स्थल से करीब 80 किलोमीटर दूर है, में पढा रहा था। डीएसपी ने इस तथ्य की पुष्टि करने के बाद ही उनका नाम निकाला था।

उधर विरोधी पक्ष ने सतबीर के पिता अगोचर व रणजीत के नामों को मुकदमे से निकालने पर तो कोई खास एतराज नहीं किया लेकिन सतबीर के नाम निकाले जाने के विरुद्ध पूरा जोर लगा दिया क्योंकि घर में यही अच्छा कमाने वाला नौजवान था। इसके लिये विरोधी पक्ष ने पहले तो सैशन कार्ट द्वारा उन्हें तलब कराने का पुरजोर प्रयास किया, यहां असफल होने पर हाई कोर्ट पहुंचे। वहां, सतबीर के कहे अनुसार, उनके वकील को ही तोड़ लिया गया। हाई कोर्ट जज ने फाइल में मौजूद डीएसपी की तसदीक व सैशन जज के फ़ैसले पर भरोसा करने की अपेक्षा वकीलों की बहस के आधार पर अगोचर व रणजीत को तो छोड़ दिया लेकिन सतबीर को फ़िर से केस में शामिल किये जाने के आदेश कर दिये। इस पर सैशन कोर्ट ने उन्हें तलब तो कर लिया परन्तु अग्रिम जमानत भी दे दी।

पलवल के अतिरिक्त सैशन जज सुभाष सिरोही ने सतबीर सहित सभी 12 लोगों को 11 मार्च 2016 को गिल्टी होल्ड कर 18 मार्च को 7-7 साल की सजा सुना दी। सतबीर के अनुसार उन्होंने डेढ लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से 18 लाख रुपये, बरी होने के लिये जज के नाम के भी दिये थे लेकिन उन्हें बिचौलिया खा गया और सजा हो गयी।

इस सारे मामले में किसका क्या दोष था, पुलिस ने क्या किया और क्या नहीं किया, उसको छोड़ भी दें तो भी एक स्कूल मास्टर जो घटना के समय अपने स्कूल में पढा रहा है, जिसके पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश कर दिये जाने के बाद उसे सज़ा कर दिया गया। हाई कोर्ट ने भी जमानत देने में 13 माह लगा दिये। अब चाहे वह बरी भी हो जाये तो उसके 13 माह का भुगतान कौन करेगा ? ऐसे में कोई क्या सम्मान करेगा इस न्यायपालिका का ?

एचटी मीडिया में काम करने वाले आंदोलनकारी की भूख से मौत

जनज्वार, दिल्ली। संसद भवन से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया में काम करने वाले 45 वर्षीय रविंदर की 12 अक्टूबर की रात भूख से मौत हो गयी। रविंदर एचटी मीडिया में बंडल बांधने का काम करते थे। उन्हें 300 अन्य मजदूरों के साथ 2 अक्टूबर 2004 में हिंदुस्तान प्रबंधन ने नौकरी से निकाल दिया था।

हिंदुस्तान द्वारा निकाले गए 300 कर्मचारियों—मजदूरों ने 13 साल पहले %हिंदुस्तान टाइम्स इंप्लाइज यूनियन% बनाकर संघर्ष की शुरुआत की। संघर्ष करने वाले मजदूरों में करीब 30 की मौत हो चुकी है और 20 अन्य किसी न किसी रूप में निष्क्रिय हो चुके हैं या उनका पता नहीं है। अब आंदोलनकारियों में सिर्फ 250 लोग बचे हैं।

हिंदुस्तान से 2004 में जो 300 लोग जब निकाले गए उनमें मशीन मैन रामकुमार सिंह भी शामिल थे। रामकुमार सिंह बताते हैं, %रविंदर मेरे साथ काम किया है। मैं मशीन पर था और वह बंडल बांधता था। नौकरी जाने के बाद कुछ ही महीने बाद उसकी बीवी अपनी बेटी के साथ कहीं और लेकर चली गयी। उसके बाद से वह धरना स्थल पर ही रहने लगा।%

दिल्ली के केजी मार्ग पर हिंदुस्तान अखबार की बिल्डिंग के नीचे निकाले गए कर्मचारियों का धरना स्थल है। यहां एक टेंट लगा है। इसी टेंट में रविंदर रहते थे। पैसे का कोई स्रोत नहीं था इसलिए पैसे का हमेशा संकट रहता था। वह इधर—उधर मांग कर खा लेते थे, क्योंकि कंपनी न तो उनका बताया दे रही थी और न ही काम पर रख रही थी।

रविंदर के साथी रामकुमार सिंह कहते हैं, रविंदर की मौत भुखमरी के कारण हुई है। वह लंबे समय से भुखमरी का शिकार था। कई बार हमलोग चंदा जुटाकर उसे खाने को देते थे। पर हमलोग खुद किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं, ऐसे में लगातार मदद संभव नहीं हो पाती थी। दूसरा हमारी मुलाकात भी किसी आंदोलन के दिन होती थी।

आंदोलन के दूसरे लोगों का कहना है कि पुलिस ने भुखमरी के इस केस को छुपाने के लिए हमारे आने से पहले ही उसे अपने कब्जे में ले लिया। हमें वह दिखा तक नहीं रही है। नाटक यह है कि जिससे उसका डीएनए मैच करेगा, उसे वह लाश देगी। जब उसकी बीवी छोड़कर चली गयी, भाइयों ने घर बेचकर उसे भगा दिया फिर डीएनए किससे मैच होगा।% इससे पहले महेंद्र नाम का एक मजदूर भी आत्महत्या कर चुका है।

आंदोलनकारी कर्मचारियों के मुताबिक उनका मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को 16 नंबर कोर्ट में है। दुखित कर्मचारी कहते हैं कि जो लोग आंदोलन छोड़कर अपना हिसाब मांगते हैं, प्रबंधन उनको भी भगा देता है। महेंद्र नाम के मजदूर ने भी इसीलिए आत्हत्या की थी क्योंकि प्रबंधन ने हिसाब देने की बजाए उसे धक्के मारकर बाहर करा दिया था।

आंदोलन के पहले साल प्रबंधन ने करीब 8—9 महीने सैलरी दी थी जिसे बाद में बंद कर दिया था। उसके बाद से अबतक 26 आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है पर कोई सुनवाई नहीं है।